



ISSN: 2394-7519

IJSR 2023; 9(1): 09-13

© 2023 IJSR

[www.anantajournal.com](http://www.anantajournal.com)

Received: 13-10-2022

Accepted: 17-12-2022

### सोनिया

शोधच्छात्रा, संस्कृतविभाग,  
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली,  
भारत

## विशिष्टाद्वैत सम्मत छल का स्वरूप

### सोनिया

DOI: <https://doi.org/10.22271/23947519.2023.v9.i1a.1950>

### सारांश

विशिष्टाद्वैत वेदान्तदर्शन का प्रमुख सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय में १३ वीं- १४ वीं शताब्दी में वैकटनाथ नामक प्रमुख आचार्य हुए जिन्होंने न्यायपरिशुद्धि नामक ग्रन्थ लिखा। इस ग्रन्थ में आचार्य वैकटनाथ ने विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय के वादशास्त्र पर विस्तार से चर्चा की है। यद्यपि भारतीयदर्शन में वादशास्त्र के लिए न्यायदर्शन अत्यंत प्रसिद्ध है। आचार्य वैकटनाथ ने न्यायपरिशुद्धि में न्यायदर्शन के वादशास्त्र में यथापेक्षित परिष्कार करके विशिष्टाद्वैत सम्मत वादशास्त्र को प्रतिपादित किया है। जैसे - छल वाद का प्रमुख साधन है। न्यायदर्शन में छल को एक पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आचार्य वैकटनाथ न्यायदर्शन से सहमत नहीं हैं उनके अनुसार छल भी एक प्रकार का निग्रहस्थान है। आचार्य वैकटनाथ के अनुसार निरन्योज्यानुयोग एक निग्रहस्थान है जिसके चार भेद होते हैं जिनमें से छल भी एक भेद है। प्रस्तुत शोधपत्र में विशिष्टाद्वैत सम्मत छल के स्वरूप, छल के भेद आदि विषयों पर विचार किया गया है।

कूटशब्दः छल, निरन्योज्यानुयोग, उपचारछल, वाक्छल, सामन्यछल, न्यायपरिशुद्धि

### प्रस्तावना

छल वादशास्त्र का एक प्रमुख विषय है। विशिष्टाद्वैत के आचार्य वैकटनाथ ने न्यायपरिशुद्धि ग्रन्थ लिखा है जो वादशास्त्र का प्रमुख ग्रन्थ है। आचार्य वैकटनाथ का समय १३वीं-१४ वीं शताब्दी है। इस ग्रन्थ में आचार्य वैकटनाथ ने वादशास्त्र के विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। इस ग्रन्थ पर श्रीनिवासदास ने न्यायसारटीका लिखी है। आचार्य श्रीनिवासदास का समय भी १५वीं- १६वीं शताब्दी माना जाता है। प्रस्तुत टीका में आचार्य श्रीनिवासदास ने ग्रन्थकार के मत को और अधिक स्पष्टतया प्रस्तुत किया है।


Corresponding Author:

### सोनिया

शोधच्छात्रा, संस्कृतविभाग,  
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली,  
भारत

ग्रन्थकार वेंकटनाथ के अनुसार छल निग्रहस्थान का ही भेद है। आचार्य वेंकटनाथ २१ निग्रहस्थान मानते हैं जिनमें निरनुयोज्यानुयोग भी एक निग्रहस्थान है। इस निग्रहस्थान के भी आचार्य वेंकटनाथ और

टीकाकार श्रीनिवासदास ने ४ भेद किये हैं- १. अनवसरग्रहण २. निग्रहस्थानाभास ३. छल ४. जाति।



इस प्रकार आचार्य वेंकटनाथ के अनुसार छल निरनुयोज्यानुयोग निग्रहस्थान का भेद है। न्यायदर्शन में छल को निग्रहस्थान से भिन्न एक अलग पदार्थ माना गया है। न्यायदर्शन संसार में १६ पदार्थ मानता है जिनमें छल भी एक पदार्थ है। और छल निग्रहस्थान से भिन्न पदार्थ है। न्यायदर्शन छल को निग्रहस्थान का भेद नहीं मानता। न्यायसूत्र में आचार्य गौतम ने छल और निग्रहस्थान का अलग अलग परिगणन किया है - प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टांत सिद्धांत-अवयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितंडा-हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः। [१]

### छल का लक्षण

ग्रन्थकार वेंकटनाथ ने छल के दो लक्षण प्रस्तुत किए हैं, जिनका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है -

1. यतत्कल्पितदूष्यमसदुत्तरं छलम् [२] अर्थात् छल असत् उत्तर होता है जिसको कथक प्रतिपक्षी कथक के कथन में दोष दिखलाने के लिए कल्पित करता है। यहाँ पर असत् शब्द का क्या अर्थ है यह ग्रन्थकार और टीकाकार ने स्पष्ट नहीं किया। असत् शब्द के मुख्यतः दो अर्थ हो सकते हैं - गलत और अविद्यमान /काल्पनिक।

प्रस्तुत सन्दर्भ में असत् शब्द का काल्पनिक अर्थ अधिक उचित प्रतीत होता है क्योंकि छल ऐसा उत्तर होता है जिसे कथक प्रतिपक्षी के कथन में दोष दिखलाने के लिए कल्पित करता है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि छल काल्पनिक उत्तर होता है।

2. वकुरविवक्षितमर्थमारोप्य तद्वृष्णं छलम् [३] अर्थात् जब कथक वक्ता के अविवक्षित अर्थ का आरोपण करके उसके मत में दोष प्रदर्शित करता है तो उसे छल कहा जाता है। यथायदि वक्ता कमलपुष्प को लेना चाहता है और कहता है कि- पड़कजमानय सम्प्रति। परन्तु वक्ता के प्रस्तुत वाक्य को सुनकर कथक पंकज का अर्थ व्यक्तिविशेष कर लेता है जो कि वक्ता को विवक्षित नहीं है और वक्ता से कहता है कि पड़कज तो बिहार में है उसे तुम्हारे पास अभी कैसे लाया जा सकता। इस प्रकार कथक ने वक्ता के अविवक्षित अर्थ का आरोपण करके वक्ता के कथन में दोष दिखलाकर छल का प्रयोग किया है।

छल का प्रस्तुत लक्षण टीकाकार को भी अभिमत है उनके अनुसार इस लक्षण में कोई दोष नहीं है अर्थात् यह छल का निर्दुष्ट लक्षण है। टीकाकार ने भी छल का लक्षण इसी प्रकार से किया है -

वक्तुर्विवक्षितादन्यदारोप्यैतस्य दूषणम् अर्थात् जब कथक वक्ता के विवक्षित अर्थ से भिन्न अर्थ का आरोपण करके उसके कथन में दोष दिखलाता है तो उसे ही छल कहा जाता है ।

### छल के प्रकार

आचार्य वेंकटनाथ ने छल के तीन भेद स्वीकार किए हैं-

- 1) वाक् छल
- 2) उपचार छल
- 3) सामान्य छल

तत् त्रिधा वाक्छलमुपचारच्छलं सामान्यच्छलमिति ।

[4] ग्रन्थकार सम्मत छल के भेदों का उदाहरणपूर्वक निरूपण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है -

1. **वाक् छल:** जब कथक अपने कथन में अनेकार्थक शब्द का प्रयोग करता है और प्रतिपक्षी कथक के द्वारा प्रयुक्त शब्द के अविवक्षित किसी अन्य अर्थ का आरोपण करके उसमें दोष प्रदर्शित करता है तो उसे ही वाक् छल कहा जाता है ।

जैसे- नवकम्बलोऽयं पुरुषः। कथक कहता है कि यह पुरुष नव कम्बल वाला है । नव शब्द अनेकार्थक है अर्थात् इसके दो अर्थ होते हैं - नौ संख्या और नूतन । प्रस्तुत उदाहरण में कथक ने नव शब्द का प्रयोग नूतन अर्थ में किया है, परन्तु प्रतिपक्षी नव शब्द का नौ संख्या अर्थ लेकर कथक से कहता है कि कुतोऽस्य नव कम्बलाः, एक एव हि कम्बलो दृश्यते । इस प्रकार प्रतिपक्षी ने नव शब्द का अन्य (नौ संख्या) अर्थ किया है जो कथक को अविवक्षित है और उस अर्थ के आधार पर कथक के कथन में दोष दिखाया है इसे ही वाक् छल कहते हैं ।

**वाक् छल की निग्रहस्थानता-** आचार्य वेंकटनाथ छल को निग्रहस्थान मानते हैं परन्तु नैयायिक छल को निग्रहस्थान से भिन्न एक स्वतंत्र पदार्थ स्वीकार करते हैं । ग्रन्थकार ने नैयायिक गौतम द्वारा प्रोक्त निग्रहस्थान के लक्षण को वाक् छल के लक्षण पर घटित करके वाक् छल की निग्रहस्थानता को प्रदर्शित किया है। नैयायिक गौतम ने न्यायसूत्र में निग्रहस्थान का लक्षण किया है-

विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् । [5] अर्थात् विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति को निग्रहस्थान कहा जाता है । अप्रतिपत्ति से तात्पर्य है - अज्ञान और विप्रतिपत्ति से तात्पर्य है- विपरीत ज्ञान या गलत ज्ञान । ग्रन्थकार कहते हैं चौंकि प्रतिपक्षी को वादी के विवक्षित अर्थ का ज्ञान नहीं होता और उसे वादी के कथन का उत्तर भी नहीं सूझता तो यह अप्रतिपत्ति ही है इसके अतिरिक्त वादी के कथन में दोष न होने पर भी प्रतिपक्षी वादी के कथन में दोष दिखलाता है यह अन्यथाप्रतिपत्ति या विप्रतिपत्ति है । इस प्रकार वाक् छल पर गौतम सम्मत निग्रहस्थान का लक्षण घटित होता है इससे वाक् छल की निग्रहस्थानता सिद्ध होती है ।

2. **उपचार छल-** कथा में जब कथक अभिधा और लक्षण शब्दशक्तियों का विपर्यय करके प्रतिपक्षी कथक के कथन में दोष दिखलाता है तो उसे ही उपचार छल कहा जाता है-

### अभिधोपचारविपर्ययारोपेण तद्वृषणमुपचारच्छलम् । [6]

अर्थात् जब वादी किसी कथन को अभिधा में कहता है परन्तु प्रतिवादी उस कथक को लक्षण में समझ लेता है या वादी किसी कथन को लक्षण में कहता है और प्रतिवादी उसे अभिधा में समझ लेता है तो अभिधा और लक्षण के इस विपर्यय को ही उपचार छल कहते हैं । ग्रन्थकार दो उदाहरणों के माध्यम से उपचार छल को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि-

- i) **गङ्गायां घोषः-** यदि कोई कथक गङ्गायां घोषः अर्थात् गंगा में घर है ऐसा लाक्षणिक प्रयोग करता है परन्तु प्रतिपक्षी इस कथन को अभिधामूलक मानकर कथक से कहता है कि गंगा में अर्थात् जल प्रवाह विशेष में घर कैसे हो सकता है तो इसे ही उपचार छल कहा जाता है अर्थात् प्रस्तुत उदाहरण में प्रतिपक्षी कथक के लाक्षणिक प्रयोग को अभिधा समझ लेता है और कथक के कथन में दोष दिखाता है तो इसे ही उपचार छल कहा जाता है ।

ii) अग्निर्माणवक:- यदि कोई कथक लक्षणा का प्रयोग करते हुए कहता है कि माणवक अग्नि है परन्तु प्रतिपक्षी इस वाक्य को अभिधा में लेकर कथक से कहता है कि माणवक व्यक्ति आग कैसे हो सकता है, कथक का कथन प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोधी है तो इसे ही उपचार छल कहा जाता है अर्थात् प्रस्तुत उदाहरण में प्रतिपक्षी कथक के लाक्षणिक प्रयोग को अभिधा समझ लेता है और कथक के कथन में दोष दिखाता है तो इसे ही उपचार छल कहा जाता है ।

ग्रन्थकार ने दोनों उदाहरण ऐसे दिए हैं जिनमें लक्षणा का अभिधा में विपर्यय करके प्रतिपक्षी कथक के कथन में दोष दिखलाता है, इन्हीं उदाहरणों के आधार पर पूर्वपक्षी उपचार छल के लक्षण पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि उपचार छल का लक्षण इस प्रकार होना चाहिए- उपचारप्रयोगे मुख्यार्थ-असम्भवाद् बाध उपचारच्छल-मित्यन्ये । अर्थात् लक्षणा का प्रयोग होने पर जब मुख्यार्थ के संभव न होने से जो बाध होता है उसे ही उपचार छल कहते हैं । परन्तु ग्रन्थकार पूर्वपक्षी के इस मत से सहमत नहीं हैं उनके अनुसार मुख्यार्थ का प्रयोग होने पर लाक्षणिक अर्थ के संभव न होने से जो अर्थ बाधित होता है उसको भी अलग छल मानना पड़ेगा परन्तु ऐसा मानना दोषपूर्ण होगा ।

**उपचार छल की निग्रहस्थानता-** ग्रन्थकार ने उपचार छल की निग्रहस्थानता को सिद्ध करने के लिए कहा है चूंकि लाक्षणिक प्रयोग लोक और वेद दोनों में प्रचलित हैं परन्तु इन प्रयोगों को न समझने वाले कथक को इनका ज्ञान नहीं होता अतः प्रतिपक्षी का यह अज्ञान या अप्रतिपत्ति ही उपचार छल की निग्रहस्थानता को सिद्ध करती है- उभयथा लोकवेदयोः प्रयोगात् तत्प्रतिपत्य-भावादेरेव चात्र निग्रहः।<sup>[7]</sup> इस प्रकार उपचार छल भी अप्रतिपत्तिरूप होने से निग्रहस्थान कहलाता है।

1) **सामान्यच्छल-** जब प्रतिपक्षी, कथक के तात्पर्य से भिन्न तात्पर्य का कथक पर आरोपण करके, उस कथक के कथन में दोष प्रदर्शित करता है तो उसे ही सामान्यच्छल कहा जाता है ।

2) यथा - अयमहो ब्राह्मणोऽनूचानः इति अत्र सुक्षेत्रे शालिसम्पत्तिवत् । कथक कहता है कि यह ब्राह्मण अनूचान (वेद-विद्वान्) है, जिस प्रकार सुक्षेत्र या उपजाऊ क्षेत्र में गुणयुक्त धान उत्पन्न होता है उसी प्रकार यह ब्राह्मण भी विद्वान् है इसमें कोई आश्वर्य नहीं है । कथक के उपर्युक्त कथन को सुनकर प्रतिपक्षी कहता है कि यदि यह व्यक्ति ब्राह्मण होने से विद्वान् है तो कथक के अनुसार यह सिद्ध होता कि जो जो ब्राह्मण होता है वह वेद-विद्वान् होता है । प्रतिपक्षी कहता है कि कथक का यह मत सही नहीं है क्योंकि ग्रात्य भी ब्राह्मण हैं परन्तु वे तो अनूचान नहीं हैं इस प्रकार कथक का कथन दोषयुक्त है । उपर्युक्त उदाहरण में प्रतिपक्षी कथक के तात्पर्य से भिन्न तात्पर्य का कथक पर आरोपण करके, उसके कथन में दोष प्रदर्शित करता है इसे ही सामान्य छल कहा जाता है ।

**सामान्य छल नाम की सार्थकता-** टीकाकार ने पूर्वपक्षी की शंका को प्रस्तुत करके उसका समाधान करने का प्रयास किया है । पूर्वपक्षी आशंका करते हैं कि सामान्य छल का नाम तात्पर्य छल होना चाहिए था क्योंकि सामान्य छल में प्रतिपक्षी कथक के तात्पर्य से भिन्न तात्पर्य का आरोपण करता है अतः ग्रन्थकार को इस छल का नामकरण तात्पर्य छल करना चाहिए । टीकाकार कहते हैं कि सामान्य छल नाम में प्रयुक्त सामान्य शब्द तात्पर्य का ही उपलक्षण है अतः प्रस्तुत छल का सामान्य छल नामकरण उपयुक्त है । इस छल का तात्पर्य छल नामकरण भी हो सकता है क्योंकि वह नाम तो अर्थानुसारी ही होगा- अन्वर्थसंज्ञा तु तात्पर्यच्छलमित्येवेति ।

टीकाकार ने भी छल के तीन भेद स्वीकार किए हैं परन्तु उनकी व्याख्या शब्दशक्तियों के आधार पर की है । टीकाकार कहते हैं कि - छलं त्रिधाऽभिधा-भक्तितात्पर्याणाम् विपर्ययात् ।<sup>[8]</sup> अभिधा के विपर्यय से वाक् छल होता है, भक्ति या लक्षणा के विपर्यय

से उपचार छल होता है और तात्पर्य के विपर्यय से सामान्य छल होता है। यद्यपि तार्किकरक्षाकार नैयायिक वरदराज ने टीकाकार से पूर्व ही छल का विभाजन शब्दशक्तियों के आधार पर किया है अभिधातात्पर्यर्थोचारवृत्तिव्यत्येनन्त कल्पितार्थनिषेध इति त्रयाणां संक्षेपतो लक्षणम्” ऐसा प्रतीत होता है कि टीकाकार ने तार्किकरक्षाकार के शब्दों में ही कतिपय परिवर्तन किया है, अर्थ दोनों का ही समान है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रंथकार वेंकटनाथ के अनुसार छल कोई अलग पदार्थ नहीं है अपि तु छल एक प्रकार का निग्रहस्थान ही है। ग्रंथकार ने छल को निरन्युज्यानुयोग नामक निग्रहस्थान के भेद के रूप में व्याख्यायित किया है जबकि न्यायदर्शन में छल निग्रहस्थान से भिन्न एक अलग पदार्थ माना गया है। इसके अतिरिक्त छल के भेद और उदाहरण के सन्दर्भ में ग्रन्थकार और नैयायिकों का मत प्रायः समान ही है, केवल शब्दों का अंतर है अर्थतः दोनों में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता।

## संदर्भ सूची

1. वेंकटनाथ. न्यायपरिशुद्धि. चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, बनारस; c1923.
2. कुमारी, मधु. न्यायपरिशुद्धि: एक आलोचनात्मक अध्ययन. क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर; c1993.
3. द्विवेदी, शिवप्रसाद. न्यायपरिशुद्धि (हिन्दी अनुवाद एवं प्रसाद समलंकृत). चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी; c2017.
4. सं. महामहोपाध्याय चेट्टलूरि वा. श्रीवत्सांकाचार्य. श्रीमद्वेकटनाथस्य न्यायपरिशुद्धि: राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति; c2007.
5. सं. मिश्र, नारायण. महर्षिगौतमप्रणीतं न्याय-दर्शनम्. चौखम्बा संस्कृत भवन, वाराणसी; c2018.
6. द्विवेदी, शिवप्रसाद. श्रीनिवासाचार्यप्रणीता यतीन्द्र-मतदीपिका. चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी; c2015.
7. दासगुप्ता, डॉ सुरेन्द्रनाथ. भारतीय दर्शन का इतिहास भाग-3. अनु. ए यू वसावडा. राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, २०१२.
8. शर्मा, चंद्रधर. भारतीय दर्शन आलोचन और अनुशीलन. मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, पुनर्मुद्रित संस्करण; c2013.
9. उपाध्याय, बलदेव. भारतीय दर्शन. शारदा मंदिर, वाराणसी, पुनर्मुद्रण; c2016.
10. Vedavalli, Narayana. Epistemology of visistadvaita: A study based on nyayaparishuddhi of vedant deshik. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. New Delhi; c2008.
11. Nyaya-Tarkatirth, Taranath and Tarkatirth, Amarendramohan. Nyayadarsanam. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi; c1985.